(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
इंतकाल अपील : 268 / 2023 (12 / 104 / 2023)
तारीख रजू : 22.09.2023 (27.07.2023) निर्णय दिनांक : 14.06.2024

उनवान

1. ऋषिपाल पुत्र स्व. श्री सर्वसुख जाति अहीर निवासी ग्राम महतावास तहसील नीमराणा जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राज.। – **अपीलान्ट**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मांढण जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड राज. – **रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार मांढण जिला कोटपूतली बहरोड़ दिनांक 27.10.2022

उपस्थित:–

01. श्री सुनील दत्त यादव –वकील अपीलान्ट
02. पैरोकार सरकार

––:: निर्णय ::––

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त उनवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 22.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये एवं तहत का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार मांढण के आदेश दिनांक 27.10.2022 जिसके द्वारा प्रार्थना बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 884 गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम महतावास तहसील नीमराणा जिला अलवर के किसी भी हिस्से पर मिन अपीलान्ट द्वारा ना तो कोई अतिक्रमण किया हुआ है ना ही कोई कब्जा कर रखा है ना ही उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 884 के रकबे के किसी भी हिस्से पर कोई कच्ची–पक्की दीवार की हुई है। जबकि मिन अपीलान्ट के पूर्वजो के समय से ही करीब 100–150 साल से अधिक समय से उपरोक्त गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 884 के लगती हुई अपनी कब्जे काश्त आराजी खसरा नम्बर 881, 882, 883 जो मिन अपीलान्ट के पूर्वजो के द्वारा अपने ही परिवार के लोग रणधीर सिंह, नरेन्द्र वगैहरा से तबादले मे प्राप्त की हुई है व दी हुई है तथा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 881, 882 पर मिन अपीलान्ट काबिज काश्तकार है तथा उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 881, 882, 883 में ही मिन अपीलान्ट के पूर्वजो द्वारा ही बाउण्ड्रीवाल बनाई हुई है जो अर्सा करीब 100–150 साल से कायम है। इसी बाउण्ड्रीवाल को पक्की दीवार बताकर व मिन अपीलान्ट का अतिक्रमण बताकर हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट तहत अदालत के समक्ष पेश की है। उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 881, 882, 883 पर ही मिन अपीलान्ट के दादा–पडदादा की समाधि भी बनी हुई हैं। इस प्रकार मिन अपीलान्ट ने जब से होश सम्भाला है तब से उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 881, 882, 883 पर हो रही चार दीवारी को यथावत देखता चला आ रहा है। जबकि गैरमुमकिन रास्ता आराजी खसरा नम्बर 884 का वास्तविक रकबा पूर्व रिकॉर्ड में 6 विस्वा यानि 7.5 ऐयर है जिसे अब राजस्व रिकॉर्ड मे खिलाफ मौका, खिलाफ रिकॉर्ड अशुद्धिवश 16 ऐयर दर्शित किया हुआ है जो गलत है तथा उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 884 की नाप तोल की जाये तो वर्तमान में कायम रास्ता अपने वास्तविक रिकॉर्ड 75 ऐयर से भी अधिक है ऐसी स्थिति मे जब उपरोक्त गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 884 का रकबा मौके पर अपनी वास्तविक स्थिति से भी अधिक है तो रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कैसे माना जा सकता है। जबकि हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर मिन अपीलान्ट को बेजा तंग व परेशान किया जा रहा है। तहत अदालत के समक्ष किसी ग्रामीणवासी द्वारा रंजिशवश झूठी शिकायत की गई है और हल्का पटवारी से मिलकर गलत रिपोर्ट तहत अदालत के समक्ष पेश कराई है जिसके आधार पर मिन अपीलान्ट के खिलाफ उक्त नोटिस धारा 91 राजभू राजस्व अधि 1956 के तहत जारी किया गया है जिस नोटिस का विस्तृत तथ्यो के साथ जवाब मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत के समक्ष दिनाक 13.10.2022 को पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा जवाब नोटिस की प्राप्ति रिसिप्ट जवाब नोटिस इस अपीलान्ट के साथ सलग्न हैं। तहत अदालत द्वारा दिनांक 13.10.2022 व दिनांक 27.10.2022 की ऑर्डरशीट में जवाब नोटिस प्रस्तुत का व प्रस्तुत दस्तावेजो का कोई जिक्र नही किया गया है। इससे साबित है कि तहत अदालत द्वारा राजनैतिक दबाव व प्रभाव में आकर बिना

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

सच्चाई जाने खिलाफ मौका, कब्जा व वस्तुस्थिति के विपरीत व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व साक्ष्य को अनदेखा करते हुए खिलाफ कानून झूठी रिपोर्ट पटवारी हल्का को सत्य मानते हुऐ व मिन अपीलान्ट द्वारा पेश जवाब नोटिस धारा 91 मे दर्ज तथ्यो का गलत अर्थ निकालते हुऐ मिन अपीलान्ट को बिना कोई साक्ष्य सबूत का पर्याप्त अवसर दिए ही आलौच्य निर्णय दिनाक 27.10.2022 पारित कर आदेश दिया कि आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 884 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम महतावास तहसील नीमराणा जिला अलवर पर अपीलान्ट को अतिकमी घोषित किया जाता है तथा बेदखल किया जाता है एवं साथ ही भू राजस्व का 0.15 का पच्चास गुणा राशि 10.– रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। पटवारी हल्का को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर शास्ति वसूल कर राजस्व लेखाकार नीमराणा को मांग कायमकी हेतु लिखा जावे।" जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश करना लाजिम आया है। तहत अदालत द्वारा पारित आलौच्य निर्णय न्यायसगत नहीं हैं जो काबिले अपास्त है।

विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि सम्वत 2079 में ग्राम महतावास के आ०ख०न० 884 रकबा 0.03 किस्स गै.मु. रास्ता पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दर्ज कर अतिक्रमी को धारा 91(3) एल.आर.एक्ट 1956 के तहत नोटिस जारी किया गया। नियत तारीख पेशी पर प्रार्थी उपस्थित हुआ अतिक्रमण स्वीकार किया। जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट. के तहत अतिक्रमी ऋषिपाल पुत्र श्री सर्वसुख जाति अहीर निवासी महतावास को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित भूमि ख०न० 884 रकबा 0.03 किस्म गै.मु. रास्ता वाके ग्राम महतावास से भौतिक रूप से बेदखल किये जाकर भू राजस्व का 0.15 का पच्चास गुणा राशि 10 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकार उक्त अतिक्रमण बाबत पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार विधिवत एवं सही तथ्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा–91 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेशपारित किया है। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 884 रकबा 0.03 किस्स गै.मु. रास्ता वाके ग्राम महतावास तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के रास्ते पर पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमण/कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लंघन किया है। अतः नायब तहसीलदार मांढण द्वारा दिनांक 27.10.2022 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड